

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-213/2016/3543/चि0-3-16-23रिट/2016
लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप


रिट याचिका संख्या-18762(एस0बी0)/2016 डा0 कमल कुमार सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-08-2016 के अनुपालन में डा0 कमल कुमार सक्सेना, चिकित्साधिकारी (वरिष्ठ0-9664क लेवल-2) का शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1410/चि0-3-2016-87रिट/2014, दिनांक 02-08-2016 द्वारा अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फर्रुखाबाद किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुये उन्हें अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर में चिकित्साधिकारी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।
2- डा0 कमल कुमार सक्सेना को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-213/2016/3543(1)/चि-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति डा0 कमल कुमार सक्सेना को तामील कराकर तामिली की सूचना शासन को 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ/फर्रुखाबाद/सीतापुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/फर्रुखाबाद/सीतापुर।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें ।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा में,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-214/2016/3957/चि0-3-16-1569/2016
लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-206/2016/3362/चि0-3-16-1569/2016, दिनांक 20-10-2016 द्वारा डा0 आर0एस0 गौतम, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-11122, लेवल-3), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा का प्रशासनिक आधार पर अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज किये गये स्थानान्तरण को सम्यक विचारोपरान्त 01 वर्ष के लिए एतद्वारा स्थगित किया जाता है।


2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-10-2016 इस सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाय।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-214/2016/3957 (1)/चि0-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद/अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ ।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा/कासगंज ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमरोहा/कासगंज ।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा/कासगंज ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
10. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।